

तारीख  
हुस्म

हुस्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
तारीख  
अहकाम  
इस हुस्म  
तामील  
जारी हुए

20/4/26 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में चोपेकार  
सरकार की लघस सुनी गई। पत्रावली  
वास्ते निर्णय आगामी दिनांक 5/5/2026  
को पेश हो।

क)

5/5/2026 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में संलग्न  
दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया  
गया। पत्रावली को मेरिट व गुणावगुण  
के आधार पर स्वीकार कर डिक्री जारी  
की गई। पत्रावली में विस्तृत निर्णय  
पृथक् से लिखवाए जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाए गए। मालनाई बधसीबदार  
विर्णो लिखा को लिखा जावे। पत्रावली  
नाम्बर से कम होकर, दाखिल दफतर हो।



उर्फ ख...  
विजयविम जिल्लाकोर्ट बांगलोर



राजस्थान सरकार

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 22 / 2026

दायर दिनांक 18.03.2026

अनवान

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

वादी .....

बनाम

1. अर्जुन पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
2. कैलाश पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
3. नन्दू पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
4. नानी पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
5. प्यारी पत्नि स्व. प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
6. भगवानलाल पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
7. सुमित्रा पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार सरकार।

02. एकपक्षीय - प्रतिवादीगण

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

-: निर्णय :-

दिनांक :- 05 / 05 / 2026

संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि में खातेदारो की मौके पर काश्त नहीं है। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया। प्रतिवादीगण ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर वर्तमान में मौके पर गढ़वा होकर पानी भरा हुआ है। उक्त आराजी का कृषि उपयोग नहीं हो रहा है भूमि पर मौके पर खनन कार्य होकर पानी भरा होने से यह प्रतीत होता है कि खातेदार सदभावी कृषक नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को ग्राम मोगरवासा की आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि से बेदखल किया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात को बिलानाम सरकार दर्ज कराना फरमावे।



 उप खण्ड अधिकारी

लगातार पेज संख्या 02 पर

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। विपक्षीगण को नोटिस / रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाई गई। जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। जिसका अंकन ऑर्डरशीट पर किया है।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम मोगरवासा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श- 1 है, पटवारी प0ह0 कार्यां द्वारा तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत आवंटन निरस्तीकरण रिपोर्ट जो प्रदर्श- 2 है, ग्राम मोगरवासा की जमाबन्दी नकल संवत् 2076-2079 पेश की जो प्रदर्श- 3 है।

प्रकरण में वादी ने पी-डब्ल्यू- 1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी - पटवारी के बयान कराये जाकर शामिल पत्रावली है।

पी-डब्ल्यू-1 ममता पंकज पिता मांगीलाल धोबी नि0 कोटा (हाल मुकाम बिजौलियां) पेशा नौकरी ने अपने बयान में लिखाया कि दिनांक 07.01.2026 को श्रीमान तहसीलदार महोदय के निर्देशानुसार ग्राम मोगरवासा के आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि पर पहुंची। मेरे द्वारा उक्त आराजी का मौका पर्चा बनाया गया। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त आराजी पर वर्तमान में खनन कार्य होकर के मौके पर गड़डा होकर पानी भरा हुआ है। उक्त आराजी का उपयोग कृषि हेतु नहीं किया जाकर अन्य प्रयोजन हेतु किया जा रहा। खातेदार सद्मावी कृषक नहीं हैं। उक्तानुसार प्रदर्श अंकित है। उक्त सभी पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

उक्त प्रकरण में साक्ष्य प्रतिवादीगण प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण को बहस में रखा गया।

प्रकरण में पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पैराकार सरकार की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के बयान के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

### -: आदेश :-

अतः मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कार्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 05 / 05 / 2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियां



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)  
बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ ( आर.ए.एस ) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 22 / 2026

दायर दिनांक 18.03.2026

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... डिक्रीदार

बनाम्

1. अर्जुन पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
2. कैलाश पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
3. नन्दू पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
4. नानी पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
5. प्यारी पत्नि स्व. प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
6. भगवानलाल पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।
7. सुमित्रा पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

..... मदयूनान

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 05 / 05 / 2026

डिक्री दिनांक : 05 / 05 / 2026

-: डिक्री :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान परोकार सरकार एवं प्रतिवादीगण एकपक्षीय के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

मौजा ग्राम मोगरवासा पटवार मण्डल कास्यां कलां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 328/12 रकबा 0.8094 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय नहरी भूमि से प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करे।

लगातार पेज संख्या 02 पर



उप खण्ड अधिकारी  
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

नीज ..... Nil ..... मुबलिंग ..... Nil .....  
बाबत् ..... Nil ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर ..... Nil .....  
फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... Nil .....  
का अदा करे ।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05 माह 05 वर्ष  
2026 को जारी किया गया ।



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौरियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील ( ) खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौरियां



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक / रीडर / 2026 / 998

दिनांक : 05/05/2026

प्रेषिति :-

तहसीलदार  
बिजौलियाँ

विषय :- राजस्व वादपत्र संख्या 22/2026 दायर दिनांक 18.03.2026 अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पालना किये जाने बाबत्।

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

..... वादी

बनाम्

1. अर्जुन पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
  2. कैलाश पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
  3. नन्दू पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
  4. नानी पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
  5. प्यारी पत्नि स्व. प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
  6. भगवानलाल पुत्र प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
  7. सुमित्रा पुत्री प्यारा जाति भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा।
- ..... प्रतिवादीगण

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि राजस्व 22/2026 दायर दिनांक 18.03.2026 अनवान् राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राज0) बनाम् अर्जुन पुत्र प्यारा भील सा. मोगरवासा, तहसील बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा वगैरे अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण का निस्तारण किया गया है। जिनके आदेश की फोटो प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको भिजवायी जा रही हैं।

अतः संलग्न आदेश की नियमानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- आदेश की फोटो प्रति।



3  
(अजीत सिंह राठौड़)  
उपखण्ड अधिकारी  
बिजौलियाँ